

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र / मुक्त. / 2025 / 20

कमलेश पत्नि ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर

बनाम

.....प्रार्थी

1. विष्णु बंसल उपखण्ड अधिकारी रूपवास
2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी ओडेल गद्दी तहसील रूपवास
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी गंगा मन्दिर कोलोनी रूपवास जिला भरतपुर
4. सौरभ पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी राया तहसील व जिला मथुरा
5. मुनीपाल पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी ओडेल गद्दी तहसील रूपवास

..... गैरअप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुक्तकिली विरुद्ध श्री विष्णु बंसल उपखण्डाधिकारी रूपवास व सिलसिले मुकदमा प्रा0 पत्र धारा 136 एल.आर. मुकदमा संख्या 39/2023 एक्ट उनवानी पुष्पेन्द्र सिंह बनाम सरकार

उपस्थित:-

1. श्री जीतेन्द्र कुमार कर्दम अभिभाषक प्रार्थी


आदेश

दिनांक 29.10.2025

प्रार्थी द्वारा यह मुक्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरप्रार्थीयान व खिलाफ उपखण्डाधिकारी रूपवास इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास के यहाँ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा संख्या 39/2023 उनवानी पुष्पेन्द्र सिंह बनाम सरकार पेश किया गया था। प्रार्थी का आरोप है कि उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा मुकदमा में नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी0 द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर प्रार्थी को धमकी दी कि न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में फैसला कराने के सम्बन्ध में उनकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई हैं। प्रार्थीया ने भी अप्रार्थी0 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुये देखा गया है। इससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में लम्बित प्रार्थना पत्र अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुक्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी तलब की गई। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)

प्रार्थना पत्र / मुन्त. / 2025 / 20
कमलेश बनाम विष्णु बंसल वगैर

शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा में बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये तर्क दिया कि गैरसायल द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर प्रार्थी को धमकी दी कि वह मुकदमा को न्यायालय से नजदीक की तारीख पेशी लेकर अपने पक्ष में फैसला करा लेगा जिस बाबत पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से बातचीत हो गई हैं। प्रार्थीया द्वारा कई बार अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी रूपवास के चैम्बर से निकलते हुये देखा है। इस कारण प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे उपखण्डाधिकारी रूपवास से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।


उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। उपखण्डाधिकारी रूपवास ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। विचाराधीन प्रकरण में पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी की उपखण्डाधिकारी रूपवास से कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है। प्रार्थीया ने तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर गौर किया। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति उपखण्डाधिकारी रूपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को सुनाया गया।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर